कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

Email: pri.ayurvedajbp@gmail.com, ayur.clgjabalpur.mp@mp.gov.in **Office - 0761-2970733**

क्रमांक / स्था. / 2024 / 4180 जबलपुर, दिनांक 25/07/2024

:: विज्ञप्ति ::

विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के तृतीय श्रेणी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति।

संचालनालय आयुष म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / एफ-252 / 2024 / 4-स्थापना / 2294-2302 भोपाल दिनांक 22 / 07 / 2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत तृतीय श्रेणी दिव्यांगजनों के रिक्त पद के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित पद की पूर्ति वॉक-इन- इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुये विहित आवेदन प्रारूप में दिनांक 08 / 08 / 2024 तक कार्यालयीन समय सायंकाल 06:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। आवेदन प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिये निर्धारित तिथि 13 / 08 / 2024 एवं समय प्रातः 10:30 बजे से शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वारीघाट जबलपुर रखी गई है। रिक्त पदों का विवरण वेतनमान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं की जानकारी निम्नलिखित है:-

क्र0	पदनाम / वेतनमान	पद की श्रेणी	दिव्यंगजन के लिए आरक्षित रिक्त पद (लोको मोटर डिसेबिलिटी)	निर्धारित योग्यता	रिमार्क
1	स्टॉफ नर्स 5200-20200+2800	तृतीय	01	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी नर्सिंग / जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण	अस्थि बाधित विकलांगता जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है। हाथों की विकलांगता को छोड़कर

आवश्यक शर्तें:-

1. उपरोक्त पद हेतु आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. गृह जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्ता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी-3-11 / 12 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01 / 01 / 2024 की स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
4. आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-8-3 / 2013 / आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार चयनोपरान्त निःशक्ता प्रमाण पत्रों के परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा। जॉच में निःशक्ता प्रमाणित होने पर ही उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
6. पूर्व से सेवारत / अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता के माध्यम से ही आवेदन करेगें।
7. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीटल स्थाई एवं जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
10. जिस आवेदक के दो से अधिक संतान है एवं उनमें से एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
11. उपरोक्त रिक्त पद पर नियुक्ति स्वशासी संस्था के स्वशासी नियमों के अंतर्गत की जावेगी। चयनोपरांत नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के पास सुरक्षित रहेंगें।

12. समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित/समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां जमा करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
13. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो (चश्मा रहित) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होगें।
14. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षित प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप कमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों ने आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर द्वारा की जावेगी।
15. प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/पत्रों के नकली/कूटरचित पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त मानी जायेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
16. यह कि आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत स्थाई जाति, मूल निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायें।
17. पदों, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर की वेब साईट www.gac.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
18. वॉक-इन-साक्षात्कार के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर में दिनांक 13/08/2024 समय प्रातः 10:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है।
19. विज्ञापित पद हेतु परिवीक्षा काल की अवधि तीन वर्षीय होगी एवं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी/3-13/2019/3/एक दिनांक 12/12/2019 द्वारा परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
20. संबंधित अभ्यार्थी को वॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
21. शासन के निर्देशानुसार या किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

LAhirwal 25.07.24

(डॉ. एल.एल.अहिरवाल)
प्र.प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर (म.प्र.)
मोबाईल नं.-9424305623

तृतीय श्रेणी के पद की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निःशक्तजन के आवेदन का प्रारूप (वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से)

प्रति,

प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नवीनतम फोटो यहां चिपकायें

1. आवेदित पद का नाम..
2. आवेदक का नाम..
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित...
4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें...
   (जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
5. आधार कार्ड नंबर...
6. पेन कार्ड नंबर...
7. वर्तमान निवास का पता एवं पिनकोड...
   ....
8. स्थाई निवास का पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर......................................
   ....
9. जाति एवं उपजाति..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. निःशक्ता का प्रकार एवं प्रतिशत...
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक...
12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान...
    (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
13. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख.....................................
14. जीवित बच्चों का विवरणः–

क0	नाम	लिंग	जन्मतिथि

15. शैक्षणिक योग्यताः– प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें

क0	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ग	विषय	पूर्णाक/प्राप्तांक	श्रेणी

16. संबंधित बोर्ड का रजिस्टीकरण कमांक..(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
17. अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता/अनुभव (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं अतिरिक्त जानकारी/अनुभव पृथक से संलग्न करे।)
18. संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों की सूची

//शपथ पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमति..पिता/पति का नाम..विवाह उपरांत मेरी कोई तीसरी या इससे अधिक संतान नही है।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

//घोषणा पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावे।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

स्थानः–

दिनांकः–